न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
मैनुअल नं.08 / अपील / 2022
(GCMS No. 2024 / 46)

तारीख दायरा
12.02.2024

तारीख निर्णय
23.07.2024

1. लोकेश कुमार गोस्वामी आ. नन्दकिशोर जाति गोस्वामी, निवासी बाड़ा धूंधला, खटकड़ तहसील रायथल, जिला बून्दी
2. रेखा गोस्वामी पुत्री नन्दकिशोर पत्नी हिम्मतराज जाति गोस्वामी, निवासी बाड़ा धूंधला, खटकड़ तहसील रायथल, जिला बून्दी हाल म.नं. 1115 हनुमान मंदिर के सामने, सकतपुरा, कोटा।
3. राजेश गोस्वामी पुत्री नन्दकिशोर पत्नी सुरेश जाति गोस्वामी, निवासी बाड़ा धूंधला, खटकड़ तहसील रायथल, जिला बून्दी हाल म.नं. 1115 हनुमान मंदिर के सामने, सकतपुरा, कोटा।

– अपीलान्टस

बनाम

1. गीता बेवा नन्दकिशोर जाति गोस्वामी निवासी बाड़ा धूंधला, खटकड़ तहसील रायथल, जिला बून्दी
2. सुरेश पुत्र नन्दकिशोर जाति गोस्वामी निवासी बाड़ा धूंधला, खटकड़ तहसील रायथल, जिला बून्दी
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, रायथल (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांटस की ओर से श्री बृजमोहन गौत्तम, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से श्री अजय गौत्तम, एडवोकेट
रेस्पो. सं. 3 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 11.12.2001 ग्राम बाडा धूंधला से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन विरासतन नामान्तरकरण खातेदार नन्दकिशोर पुरी आ. कालूपुरी के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

जिला कलक्टर, बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 8/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/46 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकिततथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तक्र प्रस्तुत किये कि खतौनी जमाबंदी संख्या 29 नई, पुरानी 27 संवत 2073 से 2076 की आराजी खसरा सं. 119, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 174 एवं 175 कुल किता 10 कुल रकबा 1.8617 हैक्टेयर वाकेग्राम बाडा धूंधला में स्थित है, उक्त भूमि पूर्व खातेदार नन्दकिशोर पुरी आ. कालूपुरी की खातेदारी में दर्ज है। खातेदार नन्दकिशोर के 2 पुत्र लोकेश, सुरेश एवं 2 पुत्रियां रेखा, राजेश तथा पत्नी का नाम गीता है। उक्त सभी वारिसान अपीलांटस एवं रेस्पो.सं.1 व 2 के रूप में अपील में पक्षकार है। श्री नन्दकिशोर पुरी का देहान्त दिनांक 30.03.2012 को होने के पश्चात उनका फौती इन्तकाल संख्या 73 दिनांक 11.12.2001 को खोला गया। जिसमें 2 पुत्र सुरेश, राकेश तथा 2 पुत्रियां राजू, मन्जू एवं पत्नी गीता के नाम उक्त नामान्तरकरण तस्दीक हुआ, जो बिना वारिसान की जांच किये गलत नाम से तस्दीक किया गया है, क्योंकि उक्त नाम के व्यक्ति खातेदार नन्दकिशोर की सन्तानें नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार के वारिसान अपीलांटस को बिना नोटिस दिये, सुनवाई के प्राकृतिक सिद्धान्त की अवहेलना की जाकर उक्त आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किया जावे। अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट को दिनांक 25.01.2024 को पटवारी हल्का से मिलने पर हुई। उसी दिन नकल नामान्तरकरण प्राप्त की जाकर अपील अवधि मध्य पेश की गई है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपील स्वीकार की जाकर वारिसान के सही नाम लोकेश, सुरेश पि0 नन्दकिशोर, रेखा, राजेश पुत्रियां नन्दकिशोर एवं गीता बेवा नन्दकिशोर के नाम दर्ज करने हेतु प्रकरण तहसीलदार रायथल को रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 व 2 ने बहस के दौरान अपील अपीलांटस में वर्णित तथ्यों पर अपनी सहमति प्रकट करते हुये अपील अपीलांटस स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 11.12.2001 की जानकारी दिनांक 25.01.2024 को होना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र में अंकित किया है।

जिला कलक्टर, बून्दी

लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किये जाने पर प्रकट है कि आराजी किता 10 कुल रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बाडा धूंधला का सहखातेदार नन्दकिशोर पुरी था। खातेदार नन्दकिशोर पुरी के देहान्त के उपरान्त फोती नामान्तरकरण सं. 73 सुरेश, राकेश पुत्र नन्दकिशोर, राजू,मन्जू पुत्रिया नन्दकिशोर एवं गीता बेवा नन्दकिशोर के नाम तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांटस को आपत्ति है कि फोती नामान्तरकरण में पुत्र लोकेश कुमार के स्थान पर नाम राकेश एवं पुत्रियां रेखा, राजेश के स्थान पर राजू, मन्जू का नाम दर्ज कर दिया गया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण पर जो सजरा बनाया गया है वह त्रुटिपूर्ण है। मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच किये बिना एवं उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना त्रुटिपूर्ण सजरे के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया जाना अंकित करते हुये उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। अपने कथन के समर्थन में अपीलांटस द्वारा अपने आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड इत्यादि दस्तावेजों की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई है। जहां तक अपीलाधीन नामान्तरकरण में अंकित सजरे के गलत होने तथा वारिसान की सुनवाई नहीं किये जाने का प्रश्न है तो नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व विधिक वारिसान की जांच की जाकर उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है, इसके अभाव में अपीलाधीन नामान्तरकरण प्रथमदृष्टया विधिविरूद्ध प्रकट होता है। अतः न्यायहित में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर मृतक खातेदार नन्दकिशोर पुरी के सभी विधिक वारिसान की जांच कर, उनको सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, नये सिरे से आदेश पारित कर नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी
जिला कलेक्टर, बून्दी